न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—58/2017 प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोकल पिता श्रीराम कुमावत निवासी खूंटिया का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थी

बनाम

1—नन्दुदेवी पत्नी बालुराम जाति ब्राहमण निवासी नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शंकरलाल पिता रामलाल जाति ब्राहमण निवासी नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
फारूख मोहम्मद—

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 05.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट नारायणखेडा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खूंटिया का खेडा पटवार हल्का नारायण खेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 249 रकबा 0.32 है0 अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 21 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। इसी प्रकार ग्राम खूंटिया का खेडा में विपक्षी संख्या एक व दो के सामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 337 रकबा 0.26 है0 भूमि खाता संख्या 35 में दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थी की आराजी संख्या 249 रकबा 0.32 है0 भूमि में आवागमन पैदल, संज, बैल, टैक्टर आदि से करने का एक मात्र रास्ता ग्राम खूंटिया का खेडा से नारायण खेडा जाने वाली मुख्य सडक से लगते हुये रास्ते से जो आराजी संख्या 355 रकबा 0.38 गैमु. रास्ता दर्ज है से होकर आगे विपक्षी संख्या एक व दो की आराजी संख्या 337 की पश्चिमी पाली पर जहां डोट—डोट से अंकन है जो करीब 15 फीट चौडाई में था से होकर आगे अपनी आराजी संख्या 249 में जाता चला आ रहा है। इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी अपनी आराजी में फसल कास्त करता रहा है। विपक्षीगण संख्या एक व दो भी इसी रास्ते से अपनी आराजियात में प्रवेश करते है। इस रास्ते के अलावा विपक्षी संख्या एक व दो की आराजी का अन्य रास्ता भी मौके पर मौजूद है लेकिन प्रार्थी के खेतों में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता यही है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेतों में पहुंच का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। विपक्षी संख्या एक व दो ने आराजी संख्या 337 व अन्य आराजियात के चारों तरफ कच्चे पत्थरों का कोट निर्माण करने के लिए जब मौके पर रेत पत्थर सीमेंट डलवाई तब प्रार्थी एवं उनके पुत्र उंकारलाल विपक्षी संख्या एक व दो को कहा कि हमारे खेत में जाने का व खातेदार रेवत, रतन, शंकर, प्यारा पिता पन्ना कुमावत के खेत में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता है जिस पर पत्थरों का कोट निर्मित मत करो रास्ता खुला छोडते हुये दिवार बनवाओ तब विपक्षी बालुराम ने एक ईकरार करीब 4 माह पूर्व प्रार्थी को लिखकर दिया जिसमें अलग अलग शर्तें तय कर दिवार निर्मित करना एवं फाटक लगाना तय किया गया लेकिन विपक्षी संख्या एक व दो की नियत में शुरू से ही फितुर था जिससे उन्होंनें अपनी आराजी संख्या 337 के चारों तरफ पक्की दीवार निर्मित करवा दी व रास्ते के समीप भी दिवार निर्मित कर दी। प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए फाटक लगााने का आश्वसन दिया जिसे भी बन्द करना चाह रह है आराजी संख्या 355 गैमु0 रास्ता के रकबे

को भी करीब 50, 60 फीट दिवार के अन्दर लेते हुये कोट चुन दिया तथा प्रार्थी के रास्ते को बन्द कर दिया उक्त रास्ते में खडी पुरानी थुहरो की बाड को भी विपक्षीगण ने हआ दिया एवं रास्ते के आलामात भी मौके पर हटाकर पक्की दीवार चुन दी प्रार्थी ने दिनांक 04/05/2017 को मौके पर जाकर देखा तो रास्ता बन्द होकर पक्की दीवार बनी हुई इस पर प्रार्थी ने विपक्षीगण को कहा लेकिन उन्होंनें रास्ता छोडने से मना कर दिया विपक्षीगण ने सरकारी रास्ते को भी अपने खेत में मिलाते हुये दिवारे चुन दी है। उक्त दिवारों के एवं फाटकों के फोटोग्राफ प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन, पैदल, संज, बैल, टैक्टर आदि का एक मात्र रास्ता नारायण खेडा जाने वाली मुख्य सडक से होकर आराजी संख्या 355 गैमु0 रास्ता जो राजस्व नक्शे में करीब 30 फीट चौडाई में है से होता हुआ विपक्षी संख्या एक व दो की आराजी संख्या 337 की पश्चिमी पाली पर डोटेड लाईन से दर्शा रखा है जो 15 फीट चौडाई में है जिसे विपक्षीगण ने बन्द कर दिया है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजियात में पहुंच का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है विपक्षीगण ने सरकारी रास्ते को भी दिवार चुनकर अपनी खेत में मिला लिया है। प्रार्थी सरकारी रास्ते से आगे विपक्षीगण की आराजी में रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की नियमानुसार डी.एल.सी दर की दुगनी राशि विपक्षीगण को देने के लिए तैयार है तथा उक्त रास्ते को जो 15 फीट चौडा है उसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। विपक्षी संख्या एक व दो प्रभावित पक्षकार है। जिनकी आराजियात में उक्त रास्ता है तथा विपक्षी संख्या 3 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है जिन्हें विपक्षीगण बनाये गये हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या एक व दो के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या एक एवं दो उपस्थित हुए जिन्होंनें रास्ता देने में सहमति जाहिर की है। विपक्षीया नन्दू देवी उपस्थित है जिनके बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी गोकल पिता श्रीराम कुमावत निवासी खूंटिया का खेडा अपनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खूंटिया खेडा की आराजी नम्बर 249 रकबा 0.32 है0 में पहुंचने हेतु विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्ज रिकार्ड करवाना चाहता है। प्रार्थी की आराजी नम्बर में पहुंचने के लिए बिलानाम आराजी नम्बर 355 रकबा 0.38 है0 गैमु0 रास्ता बिलानाम होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 337 रकबा 0.26 है0 में आते जाते थे। मौके पर विपक्षीगण ने रास्ता बन्द कर कटीली झाडियां डाल रखी हैं। प्रार्थी की आराजियात में जाने के लिए अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। एवं अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। राजस्व नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 355 जोकि बिलानाम रास्ता है। उससे आगे डोटेड लाइन से रास्ता दर्शा रखा है। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वास्तव में यह पुराना रास्ता है। और प्रार्थी व अन्य काश्तकार आवागमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी की भूमि एवं बिलानाम रास्ते के मध्य विपक्षीगण नन्दु देवी पत्नि बालू राम 1/2 शंकरलाल पिता रामलाल 1/4 नन्दू देवी पत्नि बालू राम 1/4 ब्राह्मण साकिन नारायणखेडा की खातेदारी आराजी नम्बर 337 में 20 मीटर दूरी पर रास्ता चार मीटर की चौडाई का प्रस्तावित किया गया है। जिसका रकबा 0.0080 है0 यानि 80 वर्गमीटर में गैमु0 रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसकी डी.एल. सी. दर से प्रार्थी राशि जमा कराने हेतु सहमत है। डी.एल.सी. दर से 80 वर्गमीटर दर की दोगुनी राशि 2738/– रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ता नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर बिलानाम आराजी नम्बर 355 में भी विपक्षीगण द्वारा 36 मीटर की दूरी तक रास्ता बन्द कर रखा है। अतः रिकार्ड अनुसार ग्राम नारायणखेडा की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 337 रकबा 0.26 है0 में से 4 मीटर की चौडाई में 20 मीटर की लम्बाई तक अर्थात 80 वर्गमीटर भूमि वर्तमान प्रचलित बाजार दर से वाद जमा रास्ता दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयाी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम नारायणखेडा में प्रार्थी की भूमि एवं बिलानाम रास्ते के मध्य विपक्षीगण नन्दु देवी पत्नि बालू राम 1/2 शंकरलाल पिता रामलाल 1/4 नन्दू देवी पत्नि बालू राम 1/4 ब्राह्मण साकिन नारायणखेडा की खातेदारी आराजी नम्बर 337 में 20 मीटर दूरी पर रास्ता चार मीटर की चौडाई का प्रस्तावित किया गया है। जिसका रकबा 0.0080 है0 यानि 80 वर्गमीटर में गैमु0 रास्ता प्रस्तावित किया

गया है। जिसकी डी.एल.सी. दर से प्रार्थी राशि जमा कराने हेतु सहमत है। डी.एल.सी. दर से 80 वर्गमीटर दर की दोगुनी राशि 2738/– रूपये बनती जो बतौर विपक्षी संख्या एक एवं दो को मुआवजा भुगतान करने पर तहसीलदार रायपुर की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 5.5.2018 के अनुसार रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम नारायणखेडा में प्रार्थी की भूमि एवं बिलानाम रास्ते के मध्य विपक्षीगण नन्दु देवी पत्नि बालू राम 1/2 शंकरलाल पिता रामलाल 1/4 नन्दू देवी पत्नि बालू राम 1/4 ब्राह्मण साकिन नारायणखेडा की खातेदारी आराजी नम्बर 337 में 20 मीटर दूरी पर रास्ता चार मीटर की चौडाई का प्रस्तावित किया गया है। जिसका रकबा 0.0080 है0 यानि 80 वर्गमीटर में गैमु0 रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसकी डी.एल.सी. दर से प्रार्थी राशि जमा कराने हेतु सहमत है। डी.एल.सी. दर से 80 वर्गमीटर दर की दोगुनी राशि 2738/– रूपये बनती जो बतौर विपक्षी संख्या एक एवं दो को मुआवजा भुगतान करने पर तहसीलदार रायपुर की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 5.5.2018 के अनुसार बिलानाम गेमु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 05.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा